कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,हाथरस वन प्रभाग हाथरस।

Mandu Road Sokhna near R.T.O Office, Hathras- E-mail- dfohathras @gmail.com

पत्रांक 2513/2–1. दिनांकः हाथरस, जनवरी 4 ,2019

सेवा में,

उप महा प्रबन्धक
पावर ग्रिड कार्पो0 आफ इण्डिया लि0
अलीगढ़।

विषयः– **765 के0वी0 डबल सर्किट उरई–अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु हाथरस में 1.0082 हे0 सरंक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 11 वृक्षों के पातन, अलीगढ़ में 0.6595 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 46 वृक्ष एवं 280 पौधों के पातन, कुल 1.6677 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 337 वृक्षों एवं पौधों के पातन की अनुमति ।**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पं0 8बी/यू0पी0/04/22/2018/एफ0सी0/508 दिनॉक 19–11–2018 एवं 8बी/यू0पी0/04/22/2018/एफ0सी0/ 550 दिनॉक 19–12–2018 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पं0 1060/उरई–अलीगढ़ दिनॉक 24–11–2018 एवं 1241/11–सी/31506 दिनांक 21.12.2018

कृपया उपरोक्त संन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) द्वारा विभिन्न शर्तो/प्रतिवन्धों के अधीन सैद्धातिक स्वीकृति जारी की गयी है जिसकी विन्दुवार अनुपालन आख्या आपसे अपेक्षित है। शर्त सं0 1,2,3 एवं 4 के अनुपालन में e-payment portal से ई– चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाने वाली धनराशि निम्न प्रकार होगी।

शर्त सं0–1 :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वनभूमि (1.0082 X 2 = 2.0164) अर्थात **2.0164** हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रू0 **1139380.00 (ग्यारह लाख उन्तालीस हजार तीन सौ अस्सी रूपये मात्र)** कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करना होगा । **इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सं0–2 :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाईन के नीचे प्रस्तावित वनभूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि **332200.00 (तीन लाख बत्तीस हजार दो सौ रूपये मात्र)** कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करना होगा । **इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सं0–3 (क) :– प्रयोक्ता अभिकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटरीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार प्रभावित वन भूमि (1.0082 हे0) का शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 **631134.00 (छः लाख इकत्तीस हजार एक सौ चौतीस रूपये मात्र)** जमा करना होगा । **इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सं0–3 (ख) :– इसके उपरान्त जमा की गयी धनरशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु, पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं एन0पी0वी0 की जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। **इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सं0–3 (ग) :– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्वता प्रमाण–पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगें कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। **इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सं0–4:– पारेषण लाईन के आर0ओ0डब्लू0 की अधिकतम चौडाई 67 मीटर तक सीमित रहेगी। **इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सं0–5:– विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अंक्षाश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा। और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। **इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सं0–6:– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित करें। **इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सं0–7:– प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। **इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

(मुकेश शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग,हाथरस

पत्रांक /14–1, दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, प्रभाग अलीगढ़।

(मुकेश शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग,हाथरस

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।
पत्रांक 2097 /14–10 ,अलीगढः दिनांकः दिसम्बर, 27 ,2018

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक,
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0,
765/400 के0वी0 GIS,
ग्राम–कीलपुर, तहसील–खैर,
जिला–अलीगढ़–202141।

विषयः– **765 के0वी0 उरई–अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु हाथरस में 1.0082 हे0 संरक्षितम वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 11 वृक्षों के पातन, अलीगढ़ में 0.6595 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 46 वृक्षों व 280 पौधों के पातन कुल 1.6677 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 337 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) का पत्रांक 8बी/यूपी/04/22/2018/एफ0सी0/508 दिनांक 19.11.2018 एवं 8बी/यूपी/04/22/2018 /एफ0सी0/550 दिनांक 19.12.2018, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1060/उरई–अलीगढ़ दि0 24.11.2018 एवं 1241/11–सी/31506 दि0 21.12.2018

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र), लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 765 के0वी0 उरई–अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु हाथरस में 1.0082 हे0 संरक्षितम वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 11 वृक्षों के पातन, अलीगढ़ में 0.6595 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 46 वृक्षों व 280 पौधों के पातन कुल 1.6677 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 337 वृक्षों/पौधों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित अलीगढ़ वन प्रभाग से सम्बन्धित समस्त शर्तो का अनुपालन किया जाना वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0–1 से 10 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा शर्तानसुार वांछित धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमाकर, जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण, निर्धारित प्रारूप में अंकित करते हुए इस कार्यालय को 05 प्रतियों (मूल में) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि इस सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

<u>शर्त सं0–1:</u> प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि (0.6595x2=1.319 ha.) अर्थात 1.319 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू– 5,97,600/– (पांच लाख सत्तानवे हजार छः सौ मात्र) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर उत्पन्न चालान से जमाकर, निर्धारित प्रारूप में सूचना, जमा धनराशि का UTR no. व Date of Deposition सहित एवं Online Payment History की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायें।

<u>शर्त सं0–2:</u> प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधें) के रोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू– 5,42,520 /– (पांच लाख बयालीस हजार पांच सौ बीस मात्र) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर उत्पन्न चालान से जमाकर, निर्धारित प्रारूप में सूचना, जमा धनराशि का UTR no. व Date of Deposition सहित एवं Online Payment History की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायें।

शर्त सं0–3 (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि 6,26,000/– की दर से 0.6595 X 6,26,000 = 4,12,847.00 (चार लाख बारह हजार आठ सौ सैंतालिस मात्र) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर उत्पन्न चालान से जमाकर, निर्धारित प्रारूप में सूचना, जमा धनराशि का UTR no. व Date of Deposition सहित एवं Online Payment History की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायें।

(ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा जमा की गयी धनराशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि की ऑन लाइन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित करें, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगें कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस हेतु वचनवद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय में 05 प्रतियों में (मूल हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत करें।

शर्त सं0–4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनपद्धता प्रमाण पत्र 05 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये कि प्रस्तावित पारेषण लाइन के ROW की अधिकतम चौड़ाई 67 मीटर तक सीमित रखी जायेगी।

शर्त सं0–5: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगीं। इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय में 05 प्रतियों में (मूल हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत करें।

शर्त सं0–6: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना निर्धारित प्रारूप में 05 प्रतियों में प्रेषित करें, ताकि इसे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर, अनुपालन आख्या के साथ उच्च स्तर को भेजा जा सके।

शर्त सं0–7: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र 05 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये कि प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

शर्त सं0–9: प्रकरण में आवश्यकतानुसा कार्यानुमति देने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र–11–306/2014–एफ0सी0(pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ के निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

शर्त सं0 10: प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के लिए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दि0 21.01.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु सं0 B(ii) में निहित निर्देशानुसार वसूलनीय दण्डात्मक एन0पी0वी0 की रू0 92,478.00 की धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर उत्पन्न चालान से जमाकर, निर्धारित प्रारूप में सूचना, जमा धनराशि का UTR no. व Date of Deposition सहित एवं Online Payment History की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायें।

उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों/पौधों का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं0	जनपद	वृक्षों की सं0 (गर्थ > 30 से0मी0)	पौधों की सं0 (गर्थ < 30 से0मी0)
1	अलीगढ	46	280

छपानः– बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि (प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–प–105/16–57 (लाट) दि0 23-9–2014 के बिन्दु सं0–2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0 10/– प्रति वृक्ष के आधार पर) 326 वृक्ष/पौधे दर 10/– रू0 प्रति वृक्ष/पौधे) रू0 3260/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्रांक–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02–02–2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति, भारत सरकार द्वारा जारी की जायेगी।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।